बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)

पत्रांक–स० सु० (प्रति०)–05–18 / 2018, 7740 / परि० पटना, दिनाक– 5/12/18

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषय:– **दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण किये जाने को अनिवार्य करते हुए विशेष जाँच अभियान चलाने के संबंध में।**

प्रसंग:– **इस कार्यालय का पत्रांक 7088 दिनांक–06.11.2018.**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करें जिसके द्वारा दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण किये जाने को अनिवार्य करते हुए विशेष जाँच अभियान चलाने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था तथा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की अपेक्षा की गई थी। आपसे वांछित प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में पुनः सूचित करना है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–129 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम–196 में दो पहिया वाहन चालकों एवं उसपर सवारी करने वाले व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 एवं 179 में शमन किये जाने का प्रावधान है।

विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सडक सुरक्षा पर गठित कमेटी द्वारा हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

उपर्युक्त परिस्थिति में आपसे पुनः अनुरोध है कि विषय वस्तु की महत्ता को मद्देनजर रखते हुए इस मामले में निरंतर कार्रवाई की जाय। सुलभ संकेत हेतु पत्रांक 7088 दिनांक 06.11.2018 की छायाप्रति इसके साथ संलग्न है। इस संबंध में यह भी कहना है कि विषयांकित कार्य को प्रखंड स्तर तक भी करवाने हेतु जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी उपाधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को भी निदेशित करने की कृपा की जाय।

साथ ही विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित किया जाय ताकि मुख्य सचिव, बिहार को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

विश्वासभाजन,
5/12
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—स0सु0 (प्रति0)—05—18 / 2018, 7740 / परि0 पटना, दिनांक— 5/12/18

प्रतिलिपि—सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार / सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार / सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)

पत्रांक–स0 सु0 (प्रति0)–05–18/2018, ...7088/ परि0 पटना, दिनांक–..........................

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से.,
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषयः– **दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण किये जाने को अनिवार्य करते हुए विशेष जाँच अभियान चलाने के संबंध में।**

महाशय,

मुख्य सचिव, बिहार से अनुमोदित पत्र प्रारूप के आलोक में सूचित करना है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–129 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम–196 में दो पहिया वाहन चालकों एवं उसपर सवारी करने वाले व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 एवं 179 में शमन किये जाने का प्रावधान है।

विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी द्वारा हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

उल्लेखनीय है कि गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारण नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं मे मृतकों/हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई है जो निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। प्रत्येक जीवन अनमोल है। जान–माल की क्षति का प्रभाव सकल घरेलु आय पर भी पड़ता है तथा आप अवगत है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में प्रत्येक शनिवार को हेलमेट एवं सीट बेल्ट की जाँच हेतु विशेष जाँच अभियान चलाया जाता था किन्तु सितम्बर माह से पूरे माह में लगातार विशेष जाँच अभियान के रूप में चलाया जा रहा है ताकि आमजन इसकी आवश्यकता को समझ कर हेलमेट एवं सीट बेल्ट का धारण करना प्रारंभ करें।

हम सभी इस तथ्य से अवगत है कि यह अभियान सरकार के राजस्व का स्रोत न होकर वाहन उपयोग कर्त्ता एवं आम नागरिकों के जीवन रक्षा से संबंधित है। परिवहन विभाग उक्त विशेष जाँच अभियान में आपसे भी अपेक्षित सहयोग एवं सक्रिय नेतृत्व की अपेक्षा करती है।

अतः आप अपने प्रभावी नेतृत्व में अनवरत सड़क सुरक्षा हेतु दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट धारण करने के अभियान में तेजी लाये। इसके लिये निम्न निदेश का पालन सुनिश्चित करें:–

(1) समय अपनी सुविधानुसार स्वंय दस मिनट हेलमेट चेकिंग अपने पर्यवेक्षण में सामने करवाये।

(2) प्रत्येक सप्ताह अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक किसी समय पन्द्रह मिनट हेलमेट चेकिंग अपने सामने करवाये।

(3) प्रत्येक दिन DTO/MVI/ESI एक घंटे हेलमेट चेकिंग स्वंय करें।

(4) प्रत्येक सप्ताह प्रखंड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी किसी समय आधा घंटा हेलमेट चेकिंग करवाये।

(5) प्रत्येक कॉलेज, में सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान चलाये।

(6) **समाहरणालय कर्मी एवं अन्य सरकारी कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों के लिये दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करना अनिवार्य करें तथा कार्यालय परिसरों में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन के प्रवेश पर रोक लगाये।**

(7) दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता का प्रचार–प्रसार दिवाल लेखन, सोशल मिडिया एवं होर्डिंग के माध्यम से करें इसके लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

(8) मुखिया, सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान में तेजी लाये, आपसी सहभागिता से सड़क दुर्घटनाओं से हो रही वृद्धि में कमी होगी तथा कानून के प्रति लोगों का सम्मान एवं अनुपालन भी बढ़ेगा।

(9) **यदि आप कोई सड़क सुरक्षा के लिए Innovative Practice या Proactive कार्य करते हैं, जिससे आपके जिले में Helmet Coverage में वृद्धि होती है तो ऐसे अच्छे कार्य तथा सर्वश्रेष्ठ जिला के जिला पदाधिकारी एवं वरीय/पुलिस अधीक्षक को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जायेगा।**

(10) इस कार्य के लिए प्रत्येक जिलें को दो से पाँच लाख की राशि जिला पदाधिकारी को उपपलब्ध करायी जा रही है जिसका उपयोग दो Innovative कार्य तथा सड़क सुरक्षा के लिए कर सकते है।

(11) निम्नलिखित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिला मुख्यालय	कितने प्रतिशत दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहनते है।	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.

उपरोक्त निदेशों पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

6/11/18

सरकार के सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–स0सु0 (प्रति0)–05–18/2018, 7088/परि0 पटना, दिनांक–6/11/18

प्रतिलिपि–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11/18

[redacted]

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।